

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान राष्ट्रप्रीत कौर आदि बनाम हरनेक सिंह आदि
 प्रकरण संख्या 17 / 2022 अन्तर्गत धारा 312 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
03 19/25	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 2 की तलवी डिलिवर्ड रिपोर्ट पेश की शामिल मिलल रहे। अप्राची को उपस्थित होने हेतु सप्रप दिनांक 21/04/2025 को पत्रावली दिनांक 21/04/2025 को पेश हो।	
04 21/25	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची संख्या 2 को भक-2 कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची संख्या 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली नै 71 की अवधि आगामी पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/05/25 को पेश हो।	
05 13/25	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु सप्रप भाता। 71 की अवधि आगामी पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/05/2025 को पेश हो।	
5 16/25	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 19/5/25 को पेश हो।	
5 19/25	प्राचीगिण अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई वे पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीगिण का सप्रपना पत्र अन्तर्गत धारा 312 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी निवेधाना दिनांक 04/04/2022 मूलवाद के विनियम एक स्थापी किया जाता है। पत्रावली विनियम होकर नम्बर से क्रम होकर मूलवाद के सप्रप संलग्न हो।	



सहायक जज एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)